

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक- 22.05.2025

विषय:- राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में केन्द्रांश मद की राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड बतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 3,61,54,66,666/- (रुपये तीन अरब इकसठ करोड चौवन लाख छियासठ हजार छः सौ छियासठ) मात्र अर्थात् कुल रु० 9,03,86,66,666/- (रुपये नौ अरब तीन करोड छियासी लाख छियासठ हजार छः सौ छियासठ) मात्र के आलोक में वर्तमान में केन्द्रांश मद की राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड बतीस लाख) मात्र एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 3,45,91,08,000/- (रुपये तीन अरब पैतालिस करोड इक्यानवे लाख आठ हजार) मात्र अर्थात् कुल रु० 8,88,23,08,000/- (रुपये आठ अरब अठ्ठासी करोड तेईस लाख आठ हजार) मात्र सहायक अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय उपबंध के अधीन उपलब्ध राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्राक-963, दिनांक-21 05 2025 द्वारा उपलब्ध करायी गई मॉग के आलोक में NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में केन्द्रांश मद की राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड बतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 3,61,54,66,666/- (रुपये तीन अरब इकसठ करोड चौवन लाख छियासठ हजार छः सौ छियासठ) मात्र अर्थात् कुल रु० 9,03,86,66,666/- (रुपये नौ अरब तीन करोड छियासी लाख छियासठ हजार छः सौ छियासठ) मात्र के आलोक में वर्तमान में केन्द्रांश मद की राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड बतीस लाख) मात्र एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 3,45,91,08,000/- (रुपये तीन अरब पैतालिस करोड इक्यानवे लाख आठ हजार) मात्र अर्थात् कुल रु० 8,88,23,08,000/- (रुपये आठ अरब अठ्ठासी करोड तेईस लाख आठ हजार) मात्र सहायक अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय उपबंध के अधीन उपलब्ध राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जाना है ।



2— उक्त प्रसंग में NIIM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में केन्द्रांश मद की राशि रु० 5,42,32,00,000/— (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड बतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में एव उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 3,61,54,66,666/— (रुपये तीन अरब इकसठ करोड चौवन लाख छियासठ हजार छ सौ छियासठ) मात्र अर्थात् कुल रु० 9,03,86,66,666/— (रुपये नौ अरब तीन करोड छियासी लाख छियासठ हजार छ सौ छियासठ) मात्र के आलोक में वर्तमान में केन्द्रांश मद की राशि रु० 5,42,32,00,000/— (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड बतीस लाख) मात्र एव उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 3,45,91,08,000/— (रुपये तीन अरब पैतालिस करोड इक्यागवे लाख आठ हजार) मात्र अर्थात् कुल रु० 8,88,23,08,000/— (रुपये आठ अरब अठ्ठासी करोड तेईस लाख आठ हजार) मात्र सहायक अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय उपबध के अधीन उपलब्ध राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3— राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से आवंटनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR						
Details of Fund receivable from Govt of India(2025-26)						
Sl No	Letter no			Amount(Central Shares-60%)	Amount(State Shares 40%)	Total
1	Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission					
	G 27017/01/2025 26/NHM F/FTS 8328765 dt 20 05 25	General	3601 06 101 16 06 31(GBS)	2770800000	1813866667	4534666667
			3601 06 101-16 06-35(GBS)	302300000	2015333333	5038333333
			Total	3023100000	2015400000	5038500000
		SC	3601 06 789-80 01 31(GBS)	776800000	5178666667	12946666667
			3601 06-789 80 01-35(GBS)	86300000	5753333333	14383333333
			Total	863100000	575400000	1438500000
		ST	3601-06-796 86 01 35(GBS)	15700000	1046666667	2616666667
			3601 06 796 86 05-35(GBS)	1800000	1200000	3000000
			Total	17500000	1166666667	2916666667
		PMSSN	3601-06-101-16-08-31	1467400000	9782666667	2445666667
		DA-JGUA	3601-06-796-86-05-31	46900000	312666666	781666666
			3601 06-796 86 05 35	5200000	34666666	86666666
			Total	52100000	34733333	86833333
			Total(General+Sc+ST+PMSSN+DA-JGUA)	5423200000	3615466666	9038666666

4— केन्द्रांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा—

- (i) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष- 0209- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपन्न कोड-20-2210012000209**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 6,00,00,00,000/—(रुपये छ अरब) मात्र में से रु० 2,72,08,00,000/—(रुपये दो अरब बहत्तर करोड आठ लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।**

- (ii) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाए, उपशीर्ष- 0209- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210012000209**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06**-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 7,00,00,00,000 /-(रुपये सात अरब) मात्र मे से रु० 30,23,00,000 /-(रुपये तीस करोड तेईस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iii) प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) के तहत केन्द्रांश मद मे माग की गई राशि माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाए, उपशीर्ष- 0209- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210012000209**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06**-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 7,00,00,00,000 /-(रुपये सात अरब) मात्र मे से रु० 1,46,74,00,000 /-(रुपये एक अरब छियालिस करोड चौहतर लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iv) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210017890201**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 04**-सहायक अनुदान-वेतन मद मे उपबधित राशि रु० 4,00,00,00,000 /-(रुपये चार अरब) मे से रु० 77,68,00,000 /-(रुपये सतहत्तर करोड अडसठ लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (v) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210017890201**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06**- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबधित राशि रु० 4,00,00,00,000 /-(रुपये चार अरब) मे से रु० 8,63,00,000 /-(रुपये आठ करोड तिरसठ लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (vi) माग सख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0219-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन **विपत्र कोड-20-2210017960219**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063 **विषय शीर्ष-31 04**-सहायक अनुदान-वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 25,00,00,000 /-(रुपये पच्चीस करोड) मे से रु० 1,75,00,000 /-(रुपये एक करोड पचहत्तर लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (vii) धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के तहत केन्द्रांश मद मे माग की गई राशि माग सख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0219-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन **विपत्र कोड-20-2210017960219**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063 **विषय शीर्ष-31 06**- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 80,00,00,000 /-(रुपये अस्सी करोड) मे से रु० 5,21,00,000 /-(रुपये पाँच करोड इक्कीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी। इस विपत्र कोड से विकलनीय राशि धरती आबा- जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के तहत अच्छादित समुदायो के प्रक्षेत्र मे ही व्यय किया जा सकेगा।

5- राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबधित राशि से घटकवार विकलनीय होगा -

- (i) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाए, उपशीर्ष-0309-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000309, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04- सहायक अनुदान-वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 1,00,00,00,000/-(रुपये एक अरब) मात्र मे से रु० 50,00,00,000/-(रुपये पच्चास करोड) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (ii) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाए, उपशीर्ष-0309-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000309, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 1,00,00,00,000/-(रुपये एक अरब) मात्र मे से रु० 73,73,08,000/-(रुपये तिहत्तर करोड तिहत्तर लाख आठ हजार) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iii) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110- अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0303-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210031100303, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 1,00,00,00,000/-(रुपये एक अरब) मात्र मे से रु० 2,17,33,333/-(रुपये दो करोड सत्रह लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iv) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) के तहत राज्यांश मद मे माग की गई राशि माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110- अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0303-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210031100303, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 1,00,00,00,000/-(रुपये एक अरब) मात्र मे से रु० 97,82,66,667/-(रुपये संतानवे करोड बिरासी लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (v) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110- अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0303-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210031100303, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 60,00,00,000/-(रुपये साठ करोड) मात्र मे से रु० 60,00,00,000/-(रुपये साठ करोड) मात्र की राशि विकलनीय होगी।



- (vi) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0301-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890301, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04- सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 34,00,00,000/- (रुपये चौतीस करोड़) मात्र में से रु० 5,75,33,333/- (रुपये पाँच करोड़ पचहत्तर लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (vii) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0301-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890301, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 1,00,00,00,000/- (रुपये एक अरब) मात्र में से रु० 51,78,66,667/- (रुपये इक्यावन करोड़ अठहत्तर लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (viii) माग सख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उप शीर्ष- 0319- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017960319, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में बजट उपबध से प्राप्त कुल राशि रु० 12,00,87,000/- (रुपये बारह करोड़ सत्तारोपी हजार) मात्र में से रु० 1,16,66,667/- (रुपये एक करोड़ सोलह लाख छियासठ हजार छः सौ सडसठ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (ix) धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के तहत राज्यांश मद में माग की गई राशि माग सख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उप शीर्ष- 0319- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017960319, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में बजट उपबध से प्राप्त कुल राशि रु० 20,00,00,000/- (रुपये बीस करोड़) में से रु० 3,47,33,333/- (रुपये तीन करोड़ सैतालीस लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस) मात्र राशि विकलनीय होगी। इस विपत्र कोड से विकलनीय राशि धरती आबा- जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के तहत अच्छादित समुदायो के प्रक्षेत्र में ही व्यय किया जा सकेगा।

6- राज्यांश मद में माग की गयी राशि 3,61,54,66,666/- (रुपये तीन अरब इकसठ करोड़ चौवन लाख छियासठ हजार छ सौ छियासठ) मात्र के विरुद्ध वर्तमान में कुल 3,45,91,08,000/- (रुपये तीन अरब पैतालिस करोड़ इक्यानवे लाख आठ हजार) मात्र उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष राशि कुल 15,63,58,666/- (रुपये पन्द्रह करोड़ तिरसठ लाख अठावन हजार छ सौ छियासठ) मात्र प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त होने के उपरान्त उपलब्ध कराई जा सकेगी।

7- इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाए, बिहार, पटना होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति वित्त विभाग के पत्र स०-870 दिनांक-25.01.2024 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

Li

8- निकासी एव व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में करते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के निम्नवत् SNA में राशि हस्तान्तरित कराना सुलभ करायेगे-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	आई०एफ०एस० कोड	बैंक का नाम
National Health Mission	State Health Society Bihar	625901143308	ICIC0006259	ICICI Bank, Exhibition Road Branch, Patna

9- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

10- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-7/बजट-46-12/2021 (खड-02) के पृष्ठ- 18 /टि० पर प्राप्त है।

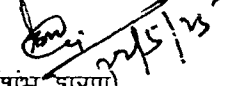
11- प्रस्ताव एव प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

13- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14- एतद्संबंधी आवटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।
Mukund

ज्ञापांक-7/बजट-46-12/2021 (खड-02)- 47(7)

/स्वा०, पटना, दिनांक-22-05-2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

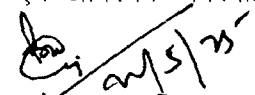
प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव एव मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम न०-331-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न०-523-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।
Mukund